<u>न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : विक्रम सिंह, आर.एच.जे.एस.

मूल दीवानी वाद संख्या : 11/2018

खेमराज बनाम मांगीलाल

<u>विवाद्यक</u> दिनांक : 16.02.2021

1. आया वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित मकान वादी व प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व की होकर उनकी माता गंगाबाई द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 06.05.1996 के अनुसार उक्त सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी का 1/2–1/2 हिस्सा होने से वादी प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त सम्पत्ति का विभाजन करा अपने 1/2 हिस्से का स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है ? –वादी

2. आया वादी प्रतिवादी के विरुद्ध वादी के 1/2 हिस्से पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने एवं वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है ? –वादी

3. आया वादग्रस्त मकान में वादी को कोई स्वत्व हित अधिकार निहित नहीं हैं? –प्रतिवादी

4 आया वादी द्वारा अंतिम इच्छा पत्र की घोषणा का अनुतोष प्राप्त किये बिना यह वाद पोषणीय नहीं है ? –प्रतिवादी

5. आया वादी द्वारा गलत व कम न्यायशुल्क अदा किये जाने से वाद पोषणीय नहीं है ? –प्रतिवादी

6 अनुतोष ?

उभयपक्ष को विवाद्यक सुनाये गये तो किसी भी पक्ष ने कोई अन्य विवाद्यक नहीं सुझाया ।

अपर जिला न्यायाधीश,
नाथद्वारा